बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

<u>आदेश</u>

आ0सं0–6/एन0–08–85/2018 ....499(6)..../पटना–15 दिनांक ....5/4/2019....

सभी तरह के नर्सिंग संस्थानों का अवधि विस्तार पूर्व में इंडियन नर्सिंग कॉउसिन्ल द्वारा किया जाता था। परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इंडियन नर्सिंग कॉउसिंल, नई दिल्ली को नर्सिंग पाठ्य क्रमों के लिये मान्यता प्राधिकार नहीं मानने के कारण एवं विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक– 400 (6) दिनांक– 18.05.2017 द्वारा राज्य के निजी क्षेत्रों में संचालित मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण (ए0एन0एम0) विद्यालयों की बिहार सरकार से प्राप्त मान्यता अवधि के समाप्त होने के पश्चात् सत्र 2018–19 से मान्यता अवधि में विस्तार हेतु राज्य सरकार से भी अनुमति प्राप्त करना अनुमान्य किये जाने के पश्चात् राज्य के अंदर अवधि विस्तार के मामले में अस्पष्टता होने पर स्पष्ट निर्णय/मार्गदर्शन का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2– सम्यक् विचारोपरांत राज्य में नर्सिंग संस्थानों में फर्जीवाड़ा रोकने एवं संस्थानों के गुणवत्ता बनाये रखने हेतु सभी तरह के नर्सिंग संस्थानों का अवधि विस्तार प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अनुमोदनोपरांत सरकार स्तर से निर्गत किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

3– सभी तरह के नर्सिंग संस्थानों के अवधि विस्तार संबंधी आवेदन बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना में लिये जायेंगे। तत्पश्चात बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना के परामर्शानुसार प्रस्ताव गठित कर अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना–सह–निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना तथा सरकार स्तर के संबंधित प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अनुमोदनोपरांत सरकार स्तर के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

4– इस संबंध में निर्गत पूर्व संबंधित सभी आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है।

5– प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

2/5/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव,

ज्ञापांक :– 6/एन0–08–85/2018 ....499(6).... /पटना, दिनांक ...5/4/2019...

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ विशेष सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/ निदेशक प्रमुख–सह– अध्यक्ष, बिहार पचिारिका निबंधन परिषद्, पटना/ निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर आम सूचना अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sd/- 5/4/19

सरकार के विशेष सचिव,